

## विभाग:- मत्स्य विभाग, जनपद-बिजनौर

लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -4(1)(बी) के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र०सं०	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जनपदीय स्तर पर कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, बिजनौर संचालित है। जनपदीय कार्यालयध्यक्ष की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य के अन्तर्गत विभागीय विनियमों के निमित्त जिला स्तर पर विभागीय कार्यक्रमों को संचालित करना एवं जनता तक पहुँचाना एवं अधिकाधिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देना आदि कर्तव्य निभाना है। मत्स्य पालन हेतु तालाब सुधार, नये तालाबों के निर्माण व मत्स्य उत्पादन हेतु बैक ऋण पर अनुदान, मछली के उत्तम बीज की आपूर्ति, प्रशिक्षण आदि सुविधायें देकर मत्स्य पालकों को समृद्धि एवं सर्वांगीण विकास में विशेष योगदान दिया जाता है।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	जनपद में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का संग्रह जनपद स्तर पर उपलब्ध नहीं है। निदेशालय स्तर से प्राप्त आदेशों के अनुसार शक्तियाँ एवं कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	जनपद में कार्यरत मैदानी कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीण अंचल के जल क्षेत्रों को मत्स्य पालन हेतु अधिकाधिक उपयुक्त बनाने में मत्स्य पालन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। समय-समय पर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित भी करते हैं। प्रत्येक जलाशय /तालाबों में प्रत्येक वर्ष उन्नत किस्म के मत्स्य बीज का संचय कराते हैं। तालाबों के स्वरूप को मत्स्य पालन योग्य बनाने में उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन एवं शासकीय सुविधायें भी उपलब्ध कराते हैं।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	जनपद स्तरीय विभागीय कार्यक्रमों की शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हेतु वार्षिक लक्ष्यों को त्रैमासिक फॉटकर उन्हें समय से पूर्ण किया जाता रहा है ताकि वर्ष के अन्त में कोई भी लक्ष्य पूर्ति प्रभावित न हो।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	कार्यालय के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वाहन हेतु शासन स्तर से समय-समय पर प्राप्त शासनादेशों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं में निहित राजाज्ञाओं द्वारा आवश्यक अंकुश लगाया जाता रहा है।
6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं।	कोई नहीं।

7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।		कोई नहीं।					
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।		कोई नहीं।					
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका		अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार से निर्गत निर्देशों का पालन किया जाता है।					
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।							
क्र०सं०	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम / वेतनमा	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	अन्य भत्ता	मंहगाई भत्ता	कुल योग	अन्य विवरण
1	श्री ए०ए० नकवी	सहायक निदेशक मत्स्य 8000-13500	8000	5640	565	4000	18205	-
2	श्री एच०एल० भास्कर	ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक 5000-8000	6650	4688	455	3325	15118	-
3	श्री बाबू सिंह	मत्स्य निरीक्षक 4500-125-7000	5750	4054	395	2875	13074	-
4	श्री दिनेश कुमार	मत्स्य विकास अधिकारी 4500-125-7000	5900	4160	265	2950	13275	-
5	श्री अहमद फवाद्	मत्स्य विकास अधिकारी 3200-85-4900	4050	2855	190	2025	9120	-
6	श्री असलम अली	उर्दू अनु० सह० वरिष्ठ लि० 4000-6000	4300	3032	285	2150	9767	-
7	श्री घनश्याम सिंह	कनिष्ठ लिपिक 4000-6000	4200	2961	285	2100	9546	-
8	श्री राजेश कुमार	कनिष्ठ लिपिक 4000-6000	4200	2961	285	2100	9546	-
9	श्री चन्द्रपाल	वाहन चालक 4000-6000	4300	3032	285	2150	9767	-
10	श्री लक्ष्मण	मछुआ 3200-4900	4390	3095	285	2195	9965	-
11	श्री छोटे लाल	मछुआ 3200-4900	4390	3095	190	2195	9870	-

12	श्री मुनक्कालाल	मछुआ 3200-4900	4220	2975	190	2110	9495	-
13	श्री राज कुमार	मछुआ 2610-3540	3280	2312	125	1640	7357	-
14	श्री प्रेम सिंह	मछुआ 2610-3540	3280	2312	230	1640	7462	-
15	श्री शमशेर अली	मछुआ 2610-3540	2670	1882	125	1335	6012	-
16	श्री मौहम्मद इकबाल	मछुआ 2610-3540	2610	1840	125	1305	5880	-
17	श्री रमेश सिंह	चौकीदार 2650-4000	3650	2573	230	1825	8278	-
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	जनपद में विभागीय कार्यक्रमों को जिला स्तर पर स्वीकृत जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से मत्स्य पालक विकास अभिकरण बिजनौर की योजना संचालित है। वर्ष 2008-09 में इस अभिकरण के लिए निम्नवत व्ययों को प्रस्ताव रखा गया है—						
			क्र०सं	मद	प्रस्तावित	अवमुक्त	अन्य	
			0		परिव्यय	धनराशि		
			1	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	500000	500000	-	
			2	मछुआ दुर्घटना बीमा	0	-	-	
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पनादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बन्धित है।	<p><b>(अ) मछुआ आवास योजना</b> इस योजनान्तर्गत जनपद में मत्स्य कृषकों कोउनके आवास हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में मछुआ आवास निर्माण की योजना प्रस्तावित है इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु रू0 35000/- की धनराशि दी जाती है तथा प्रत्येक दस आवासों पर एक हैण्डपम्प की भी व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2008-09 के लिए अभी तक कुल रू0 3,75,000/-की धनराशि आवंटित हुई है।</p> <p><b>(ब) आत्मा योजना</b> इस योजना को कृषि तकनीकी प्रबन्ध अभिकरण योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है वर्ष 2007-08 में अभी तक रू0 89000/- की धनराशि आवंटित हुई है। वर्ष 2008-09 की धनराशि आवंटन होना शक है।</p> <p><b>(स) डास्प- II</b> इसके अन्तर्गत मत्स्य उत्पादकता बढ़ान हेतु जनपद में 13 हैक्टेयर आदर्श तालाबों का चयन कर मत्स्य पालन विभागीय सहयोग से किया जाना है।</p> <p><b>(द) एन0एफ0डी0बी0 योजना</b> इस योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं निवेश दिया जाना प्रस्तावित है।</p>						

13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	समय-समय पर शासन के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा आवश्यक रियायतें आदि दी जायेगी
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	कोई नहीं।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	कोई नहीं।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी – श्री ऐ0ए0 नकवी सहायक निदेशक मत्स्य, बिजनौर मो0- 9411159594
		सहायक जन सूचना अधिकारी- श्री एच0ल0 भास्कर (ज्ये0मत्स्य निरीक्षक) मो0-9412656659
		अपीलीय अधिकारी- श्री एन0एस0 रहमानी उप निदेशक मत्स्य, मुरादाबाद मो0-9411298252

(ऐजाज अहमद नकवी)  
सहायक निदेशक मत्स्य  
बिजनौर











»







